**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 646**

**17 दिसम्बर, 2018 को उत्तर के लिए**

**शहीद सैनिकों की विधवाओं और उन सैनिकों पर आश्रित व्यक्तियों पर व्यय**

**646.डा. विकास महात्मे:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहीद सैनिकों की विधवाओं और उन सैनिकों पर आश्रित व्यक्तियों के लिए बनाई गई योजना पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या वर्तमान में शहीद सैनिकों की बेटियों की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए कोई योजना/परियोजना है?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. सुभाषभामरे)**

(क):कार्रवाई के दौरान निःशक्त हुए, लापता और मारे गए भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत शहीद सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को कवर किया जाता है। शहीद सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों पर हुए व्यय के लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख): शहीद सैनिकों की बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए कोई विशिष्ट स्कीम/परियोजना नहीं है। तथापि, उन्हें अनुबंध पर दर्शाई गई विभिन्न योजनाओं के तहत कवर किया जाता है।

**शहीद सैनिकों की विधवाओं और उन सैनिकों पर आश्रित व्यक्तियों पर व्यय के बारे में राज्य सभा में दिनांक 17.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं0 646 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**योजनाएं**

**1) शहीदों के परिवारों/निकटतम संबंधियों को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता :**

1. उदारीकृत परिवार पेंशन ।

2. मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान ।

3. अनुग्रह एकमुश्त मुआवजा ।

4. निशक्तता/ पेंशन का युद्ध घायल अंश (निःशक्त सैनिकों के मामले में) ।

**2) भूतपूर्व सैनिकों/शहीदों के परिवारों सहित उनके परिवारों को आवेदन करने पर उनकी पात्रता के अनुसार केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से मुहैया कराई गई कल्याण योजनाएं :**

1. गरीबी अनुदान ।

2. शिक्षा अनुदान ।

3. अफसर कैडेट अनुदान ।

4. निशक्त संतान अनुदान ।

5. मकान मरम्मत अनुदान ।

6. पुत्री विवाह अनुदान/विधवा पुनर्विवाह अनुदान ।

7. अंत्येष्टि अनुदान ।

8. चिकित्सा अनुदान ।

9. अनाथ अनुदान ।

10. विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान ।

11. गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए अनुदान ।

12. प्रधानमंत्री द्वारा छात्रवृत्ति।

13. कार्रवाई में मारे गए और कार्रवाई में निःशक्त हुए (उसी क्रम में) व्यक्तियों के प्रतिपाल्यों को एमबीबीएस और बीडीएस की 2 सीटों (लगभग) और 6 आईआईटी में प्रत्येक में दो सीटों पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के जरिए उपलब्ध अधिमान्य आबंटन।

**3) शहीदों/निःशक्तसैनिकों के परिवारों/निकटतम संबंधियों को मुहैया कराई गई सुविधाएं :**

1. संतान शिक्षा रियायत ।

2. यात्रा रियायत :

क. रेल रियायत (युद्ध विधवाओं के लिए)।

ख. हवाई यात्रा रियायत ।

3. टेलिफोन रियायत ।

**4) विभिन्न निधियों के अंतर्गत मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता :**

क. सेना सामूहिक बीमा योजना ।

ख. सेना सामूहिक बीमा परिपक्वता ।

ग. सेना पत्नी कल्याण एसोसिएशन निधि ।

घ. सेना अफसर हितकारी निधि ।

ङ सेना केन्द्रीय कल्याण निधि ।

\*\*\*\*\*